बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

का0आ0सं0: यो0स्था04 / 2–15 / 2014 4608 / यो0वि0,पटना,दिनांक 07-10-2014 ~~सितम्बर, 2014~~

आदेश

योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन के फलस्वरूप एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण संहिता में 15 (पद्रह) लाख रूपये तक की लागत की योजनाओं को विभागीय रूप से भी कराने का प्रावधान संशोधित किए जाने के कारण स्थानीय स्तर पर अभियंताओं के अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता अवश्यंभावी हो गयी है । योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों में कनीय अभियंता के कुल सृजित 1298 पदों के विरूद्ध सम्प्रति मात्र 135 नियमित और 540 संविदा के आधार पर कनीय अभियंता कार्यरत हैं । इस प्रकार योजना एवं विकास विभाग में कनीय अभियंताओं के स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की कमी के कारण महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इन कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता की सेवा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने मूल कार्यो के अतिरिक्त उनके पदस्थापित प्रखंड कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लेने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपर्युक्त आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत संविदा पर नियोजित 605 कनीय अभियंताओं को उनके पदस्थापित प्रखंड कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत उनके मूल कार्य के अतिरिक्त योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु सेवा लेते हुए उन्हें कार्य सम्पादन का आदेश दिया जाता है ।

3. प्रस्ताव पर ग्रामीण विकास विभाग की भी सहमति प्राप्त है ।

30/9/2014
(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था04 / 2–15 / 2014 4608 / यो0वि0,पटना,दिनांक 07-10-2014 ~~सितम्बर, 2014~~

प्रतिलिपि: प्रधानसचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / भवन निर्माण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपने स्तर से भी आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय ।

30/9/2014
सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था04 / 2–15 / 2014 4608 / यो0वि0,पटना,दिनांक 07-10-2014 ~~सितम्बर, 2014~~

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना / सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार / सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/9/2014
सचिव
योजना एवं विकास विभाग

J.K

ज्ञापांकः योoस्थाo4/2–15/2014 4608 /योoविo,पटना,दिनांक 07-10-2014 ~~सितम्बर, 2014~~

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/10/2014

सचिव

योजना एवं विकास विभाग